रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2013/माघ 30, 1934
No. 373] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2013/MAGHA 30, 1934

Office of the Principal Resident Commissioner
20 FEB 2013
Tamil Nadu House, New Delhi

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2013

का.आ. 404(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी के विषय में जल विवाद के अधिनिर्णयन हेतु तारीख 2 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या का.आ. 437(अ) द्वारा कावेरी नदी विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिकरण" कहा गया है) का गठन किया था;

और जबकि, अधिकरण ने 1990 की सिविल प्रकीर्ण याचिका संख्या 4, 5 और 9 के संबंध में 5 फरवरी, 2007 को अंतिम आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है) पारित किया है और इसे अग्रिम अपेक्षित कार्रवाई हेतु केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया है;

और जबकि, उच्चतम न्यायालय ने 4 फरवरी, 2013 को निदेश दिया है कि :

"अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 में, अधिकरण के निर्णय को राजपत्र में प्रकाशित करने का कार्य केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया है । यद्यपि अधिकरण के ऐसे निर्णय को प्रकाशित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु इसके न होने पर, इसका प्रकाशन समुचित समय के भीतर किया जाना है । चूंकि 5 वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है, हम केन्द्रीय सरकार को कावेरी जल विवाद अधिकरण के 5 फरवरी, 2007 के अंतिम निर्णय को राजपत्र में यथासंभव शीघ्र और किसी भी स्थिति में 20 फरवरी, 2013 से पहले प्रकाशित करने का निदेश देते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजपत्र में कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतिम निर्णय का प्रकाशन लम्बित कार्यवाहियों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगा" ।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिकरण का उपर्युक्त आदेश प्रकाशित करती है ।

तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केन्द्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी सरकार के बीच जल विवाद अर्थात् अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी और उससे संबंधित नदी घाटी के मामले में 1990 की सिविल विविध याचिका संख्या 4, 5 और 9 के विषय में कावेरी जल विवाद अधिकरण का आदेश ।

खंड-I.—

यह आदेश समय-समय पर संशोधित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत राजपत्र में न्यायाधिकरण के फैसले के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।